भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 598

06 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

विषयः कृषि व्यवसाय को छोड़ना

598. श्री राजेन्द्र अग्रवालः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि क्षेत्र के लाभकारी न होने के कारण बड़ी संख्या में किसान अपना कृषि व्यवसाय छोड़ रहे हैं और श्रमिकों के रूप में नौकरी करने के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कृषि के लाभकारी न होने के कारण वर्ष 2021, 2022 और 2023 के दौरान, राज्य-वार, अब तक अपना व्यवसाय छोड़ने वाले किसानों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी जानकारी का स्त्रोत क्या है;

(ग) कृषि को लाभकारी बनाने में सरकार की विफलता के क्या कारण हैं; और

(घ) श्रम उत्पादकता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (घ): प्राथमिक (कृषि) क्षेत्र से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कार्यबल का अंतरण विश्व भर के देशों द्वारा अनुभव की जाने वाली विकास प्रक्रिया की एक सामान्य अवधारणा है और यही भारत के लिए भी सत्य है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2021-22 और 2022-23 के अनुसार, 2019-20 से 2022-23 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सामान्य स्थिति में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत इस प्रकार है:

वर्ष	**कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में सामान्य स्थिति में कार्यरत श्रमिकों का वितरण (%)**
2019-20	45.6
2020-21	46.5
2021-22	45.5
2022-23	45.8

स्त्रोत: वार्षिक रिर्पोट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, एमओएसपीआई (2019-20 से 2022-2023)

कृषि राज्य का विषय है। भारत सरकार किसानों के लाभ के लिए और देश में कृषि क्षेत्र की वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न केंद्र द्वारा प्रायोजित/केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है। कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए कई नीतियां, सुधार, विकासपरक कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की गई हैं,जिसके फलस्वरूप कृषि श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि होगी और कृषि को लाभप्रद बनाएगा। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) पीएम-किसान के तहत प्रतिवर्ष तीन समान किश्तों में 6000/- रुपये की अनुपूरक आय का अंतरण;
(ii) उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा सुनिश्चित करते हुए सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि;
(iii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत फसल बीमा;
(iv) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत सिंचाई तक बेहतर पहुंच;
(v) 100,000 करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के माध्यम से अवसंरचना निर्माण पर विशेष बल;
(vi) एफसीआई संचालनों के अतिरिक्त पीएम-आशा के तहत नई खरीद नीति;
(vii) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), कृषि फसलों के अतिरिक्ति डेयरी और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी उत्पादन ऋण प्रदान करता है;
(viii) 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन और विकास;
(ix) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए कार्यनीतियों को विकसित और कार्यान्वित करना है;
(x) मधुमक्खी पालन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नीली क्रांति, ब्याज छूट योजना, कृषि-वानिकी, पुनर्गठित बांस मिशन, नई पीढ़ी के वाटरशेड दिशानिर्देशों आदि के कार्यान्वयन के तहत मिलने वाले लाभ;
(xi) कृषि मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर बल देना।
(xii) कृषि मशीनीकरण उप मिशन (एसएसएएम) के तहत आधुनिक मशीनरियों के उपयोग के संबंध में जागरूकता लाना और कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों को अपनाना जिसमें भारतीय कृषि में क्रांति लाने की क्षमता है;
(xiii) कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (एआई/एमएल), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), ब्लॉकचेन आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से डिजिटल कृषि परियोजनाओं को बढ़ावा देना। इन पहलों का उद्देश्य विभिन्न डिजिटल पहलों के माध्यम से किसान-केंद्रित समाधान को संबोधित करने के लिए देश भर के किसानों को प्रौद्योगिकी और सूचना तक पहुंच प्रदान करना है;
(xiv) वित्तीय सहायता प्रदान करके और इनक्यूबेशन पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करके नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई-आरएएफटीएएआर) के तहत "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" नामक एक घटक का शुभारंभ किया गया है; और
(xv) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणालियों द्वारा विकसित नवीन कृषि तकनीकों को अपनाने में किसानों का समर्थन करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) योजना कार्यान्वित कर रही है।

*****